KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

पत्रांकः केयू/(मान्यता/चौदह–48)149/1036 दिनांकः 10-02-2023

To,

1. Prof. N.K. Joshi, Vice-Chancellor, (Chairman) Kumaun University, Nainital.
2. Dr. Prabhashankar Shukla, Vice-Chancellor, North Eastern Hill University, Shilong, Meghalaya.
3. Dr. Praveen Singh Bisht, Professor & Head Dept. of Physics, Sobhan Singh Jeena University, Almora.
4. Honble Justice (Rtd.) Mr. Sarvesh Kumar Gupta, A-2, 67 IIIrd Floor, Safdarjung, Enclave, Near-Green field School, New Dehli-110029
5. Dr. Shiv Narayan Siddh, Assistant Prof. Geography, M.B.P.G. College, Haldwani, Nainital.
6. Dr. Kumud Upadhyay, Deptt. of Pharmaceutical Sciences, Sir J.C. Bose, Technical Campus, Bhimtal.
7. Prof. Atul Joshi, Dean Faculty of Commerce, D.S.B. Campus, Nainital.
8. Prof. Indu Pathak, Deppt. of Sociology, D.S.B Campus, Nainital.
9. Dr. A.K. Durgapal, Associate Prof. Deptt. of Physics, D.S.B Campus, Nainital.
10. Dr. Reena Singh, Deptt. of D & P, D.S.B.Campus, Nainital
11. Dr. N.S. Bankoti, Principal, M.B.P.G. College, Haldwani, Nainital.
12. Dr. Ajra Praveen, Principal, Govt. P.G. College, Chaukhuta, Doshapani, Nainital.
13. Dr. G.S. Yadav, Principal, Govt. Degree College, Patlot, Okhalkanda, Nainital.
14. Dr. Aprajita, Deptt. of Home Science, R.H. P.G. College, Kashipur, (U.S. Nagar).
15. Dr. Pankaj Kumar, Deppt. of Economics, M.B.P.G. College, Haldwani, Nainital.
16. Shri Kailash Chandra S/o Shri Heera Ballabh, Krishna Bhawan, Prospect Lodge, Compound, Mallital, Nainital .
17. Dr. Suresh Dalakoti, Khurpatal, Nainital.
18. Dr. B.S. Jeena, Jeena Niketan, Vikashpuri, No.-02, H.No.-05/705, Malla Gorakhpur, Haldwani, Nanital.
19. Shri Prakash Chandra Pande Kapil Bhawan, Behind Bank of Baroda, Mallital, Nainital
20. Smt. Anita Arya, Finance Officer, Kumaun University, Nainital
21. Shri Dinesh Chandra, Registrar (Member Secretary) Kumaun University, Nainital.

Sub: Minutes of the 149th meeting of the Executive Council.

Dear Sir/Madam,

Kindly find herewith enclosed a copy of the minutes of 149th meeting of the Executive Council held on 10th Febuary, 2023 at 11:30AM in Kumaun University, Nainital. It is requested that if there would be any objection in any resolution/ decision, it may kindly by informed in written to this office with in a week.

Encl: As above

Yours Faithfully

(Dinesh Chandra)
Registrar

KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 149 वीं बैठक दिनांक 10.02.2023 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 एन0के0 जोशी (कुलपति)
2. प्रो0 प्रवीण सिंह बिष्ट
3. माननीय न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री सर्वेश कुमार गुप्ता
4. डॉ0 शिव नारायण सिद्ध
5. प्रो0 अतुल जोशी
6. प्रो0 इन्दु पाठक
7. डॉ0 कुमुद उपाध्याय
8. डॉ0 ए0के0 दुर्गापाल,
9. डॉ0 रीना सिंह
10. डॉ0 एन0एस0 बनकोटी (ऑनलाईन माध्यम)
11. श्री कैलाश चन्द्र
12. डॉ0 सुरेश डालाकोटी
13. डॉ0 बी0एस0 जीना
14. श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे
15. श्रीमती अनीता आर्य (वित्त नियंत्रक)
16. श्री दिनेश चन्द्रा (कुलसचिव)

कार्यवाहीः

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी (अध्यक्ष) कार्यपरिषद् द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुये अपने संबोधन में विश्वविद्यालय को देश एवं विदेशी विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदत्त रैंक तथा विश्वविद्यालय की उपलब्धि के संबंध में अवगत कराया गया।

कुमाऊँ विश्वविद्यालय को सत्र 2021–22 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 551–600वीं रैंक, इण्डिया टूडे ग्रुप द्वारा 28वॉ स्थान, विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग को एनआईआरएफ द्वारा 61वॉ स्थान तथा विश्वविद्यालय को ओ0बी0ई0 रैंकिंग में ए+ रैंक, विश्वविद्यालय के एच0आर0डी0सी0 सेन्टर को पूरे भारत में चौथी रैंक प्राप्त हुयी, 03 एन0ई0पी0 वर्कशॉप, 07 अन्य वर्कशॉप, जन्तु विज्ञान विभाग का 07 दिवसीय वर्कशॉप, 10 दिवसीय योगा वर्कशॉप, ब्लड डोनेशन कैम्प, आजादी का अमृत महोत्सव, विश्वविद्यालय के 80 छात्र–छात्राओं को खेलकूद में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक से सम्मानित किया गया, एन0सी0सी0 के 02 कैडटों द्वारा कर्तव्य पथ पर मार्चिंग एवं 26 जनवरी में प्रतिभाग करने की सूचना कार्यपरिषद् को दी, इसके साथ ही माननीय कुलपति महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विभिन्न शैक्षिक संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय को 11 पेटेन्ट प्राप्त हुये हैं तथा उत्तराखण्ड राज्य स्तर पर नई शिक्षा नीति–2020 के पाठ्यक्रम को तैयार करने में कुमाऊँ विश्वविद्यालय का सराहनीय योगदान रहा। शोध एवं वोकेशनल पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से समझौता पत्र हस्ताक्षर किया गया है, इसके साथ ही 20–22 नये पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये, एच0आर0डी0सी0 द्वारा 12 FDP प्रोग्राम (448 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया), 13 रिफ्रेशर (634 प्रतिभागी), 10 शार्टट्रर्म कोर्स (392 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया) इसके साथ ही माननीय कुलपति जी द्वारा नये संकायों यथा– बायोमेडिकल संकाय एवं कृषि एवं कृषि वानिकी संकाय के गठन की सूचना तथा एनसीटीई द्वारा B.A. B.Ed., B.Sc.B.Ed. B.Com.B.Ed., (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) संचालित किये जाने की अनुमति प्राप्त होने के संबंध में भी अवगत कराया, जो विश्वविद्यालय की उपलब्धि है, इस उपलब्धि पर कार्यपरिषद् द्वारा ध्वनिमत से माननीय कुलपति जी को बधाई दी गयी। इसके उपरान्त माननीय कुलपति जी द्वारा परिषद में नव आगुन्तक माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कुलपति जी द्वारा कुलसचिव को सभा के संचालन की अनुमति प्रदान की गयी। तदोपरान्त श्री दिनेश चन्द्रा, कुलसचिव कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा सदस्यों के स्वागत के साथ–साथ सभा का संचालन प्रारम्भ किया गया, जो निम्नवत् हैः–

मद सं0	विवरण	संकल्प / निर्णय
1.	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 148वीं ऑनलाईन (वर्चुअल) बैठक दिनांक 24.05. 2022 (दीक्षान्त) की कार्यवाही की पुष्टि।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 148वीं ऑनलाईन (वर्चुअल) बैठक दिनांक 24.05.2022 (दीक्षान्त) की कार्यवाही माननीय सदस्यों को विश्वविद्यालय के पत्रांक aff./Chaudah-48(148)/142 दिनांक 02.06.2022 के द्वारा प्रेषित कर दी गयी है, जिसकी पुष्टि करने के साथ–साथ कार्यपरिषद् द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि भविष्य में कार्यपरिषद् की बैठकें नियमावली / परिनियमावली में निहित समयानुसार की जाय।
2.	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 148वीं ऑनलाईन (वर्चुअल) बैठक दिनांक 14.05. 2022 (दीक्षान्त) की कार्यवाही पर किये गये कार्यों का विवरण (Action taken)	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 148वीं ऑनलाईन (वर्चुअल) बैठक दिनांक 14.05.2022 (दीक्षान्त) की कार्यवाही पर किये गये कार्यों के विवरण (Action taken) से परिषद अवगत हुयी।
3.	विद्यापरिषद्द की बैठक दिनांक 16.08.2022 की कार्यवाही का अनुमोदन।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की ऑनलाईन (वर्चुअल) बैठक दिनांक 16. 08.2022 की कार्यवाही का कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया। अवगत कराया गया कि शैक्षिक पदों में भर्ती हेतु पूर्व विज्ञप्ति के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के कारण शासन के निर्देशानुसार नवीन विज्ञप्ति जारी की जानी होगी। कार्यपरिषद के सदस्यों के सुझाव पर निम्नवत् रोस्टर कमेटी का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। **1. माननीय न्यायमूर्ति, श्री सर्वेश कुमार गुप्ता (अध्यक्ष)।** **2. श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डे।** **शेष सदस्य नियमानुसार नामित किये जायेंगे।** (समिति के सदस्यों से इस आशय का घोषणा–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि वे या उनका आश्रित / निकटस्थ संबंधी आवेदक न हो)
4	विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 की कार्यवाही का अनुमोदन	विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 की कार्यवाही का कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन करने के साथ–साथ विचार व्यक्त किये कि परीक्षाफल तब तक घोषित न किया जाय जब तक कि परीक्षा फल की हार्ड प्रति विश्वविद्यालय मे प्राप्त न हो जाय, जिस पर परिषद् द्वारा सहमति व्यक्त की गयी और यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद के सृजन हेतु शासन से पत्राचार किया जाय, परिषद को यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक का कार्य कुलसचिव द्वारा अधिनियम में निहित व्यवस्था के तहत किया जा रहा है।
5.	वित्त समिति की बैठक दिनांक 26वीं बैठक दिनांक 28 मार्च, 2022 एवं 27वीं बैठक दिनांक 09 फरवरी, 2023 का अनुमोदन।	विश्वविद्यालय वित्त समिति की 26वीं बैठक दिनांक 28 मार्च, 2022 की कार्यवाही का अनुमोदन करने के साथ–साथ परिषद् के माननीय सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि डी0एस0बी0 परिसर में महिला छात्रावास क्षतिग्रस्त हैं, महिला छात्रावासों की मरम्मत हेतु भी वित्त समिति द्वारा बजट पारित करना चाहिये, जिस पर माननीय कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य जिला प्रशासन के माध्यम से आपदा एवं प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है इसके साथ ही विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 27वीं बैठक दिनांक 09 फरवरी, 2023 का अनुमोदन किया गया।
6.	शोध सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 की संस्तुतियों पर विचार।	शोध सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 की बिन्दु सं0 05 को पुनः शोध सलाहकार समिति के पुनर्विचार हेतु संदर्भित किये जाने के फलस्वरूप शेष संस्तुतियों का कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
7.	विभिन्न विषयों के शोधार्थियों की वाहय परीक्षकों द्वारा संस्तुत की गयी शोध उपाधि कार्य परिषद् के अनुमोदनार्थ।	विभिन्न विषयों के 118 शोधार्थियों की वाहय परीक्षकों द्वारा संस्तुत की गयी शोध उपाधि सूची **(नोटिफिकेशन–102)** पटल पर प्रस्तुत की गयी जिसका परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
8.	सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की नवीन / अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु प्राप्त स्वीकृति / पूर्वानुमोदन पत्रों पर परिषद का अनुमोदन।	कुलाधिपति सचिवालय से राजकीय / निजी संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2019–20 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की नवीन / अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु प्राप्त स्वीकृति / पूर्वानुमोदन पत्रों के क्रम में संलग्न सूची के अनुसार 101 राजकीय / निजी महाविद्यालयों के सम्बद्धता ओदश निर्गत किये जाने हेतु परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

<table>
<tr>
<td>9.</td>
<td>विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय/निजी महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सम्बद्धता/मान्यता हेतु कार्यपरिषद् की स्वीकृति।</td>
<td>
1. इन्दिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला वाणिज्य महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल को पी0जी0 डिप्लोमा इन यौगिक साइंस पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 से स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
2. राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, को डिप्लोमा इन टूरिज्म स्ट्डीज पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019–20 से स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
3. यूनिटी लॉ कॉलेज, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को डिप्लोमा पाठ्यक्रम साइबर लॉ एवं कॉरपोरेट लॉ हेतु 2020–21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
4. वासुदेव कॉलेज ऑफ लॉ, लामाचौड, हल्द्वानी, (नैनीताल) को पी0जी0 सार्टिफिकेट प्रोग्राम इन साइबर लॉ एवं पी0जी0 सार्टिफिकेट प्रोग्राम इन कॉरपोरेट लॉ में शैक्षिक सत्र 2022–23 की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
5. आम्रपाली इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंसेज, शिक्षानगर, लामाचौड़, हल्द्वानी, (नैनीताल) को डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेन्ट (01 वर्षीय) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021–22 एवं 2022–23 की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।
कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त निर्देशानुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु किसी महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिये मा0 कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय स्वयं विद्यापरिषद एवं कार्यपरिषद के निर्णयानुसार पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकता है।
उक्त पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांस स्कीम (CAS) के तहत विभिन्न तिथियों में सम्पन्न साक्षात्कार में प्रोन्नत अध्यापकों का विषयवार सीलबंद लिफाफों में चयनित अभ्यर्थियों का अनुमोदन।</td>
<td>
विश्वविद्यालय में कैरियर एडवांस स्कीम (CAS) के तहत विभिन्न तिथियों में सम्पन्न साक्षात्कार में प्रोन्नत अध्यापकों के चयन समिति द्वारा संस्तुत सीलबंद लिफाफे परिषद् के सम्मुख खोले गये, जिनका परिषद द्वारा निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया गयाः–
<u>9000/– से 10000/–</u>
<table>
<tr><th>चयन समिति की बैठक तिथि</th><th>विषय</th><th>अभ्यर्थी का नाम</th><th>ए0जी0पी0</th><th>अर्हता की तिथि</th></tr>
<tr><td>03–02–2023</td><td>एच0आर0डी0सी0</td><td>डॉ0 दिव्या उपाध्याय जोशी</td><td>10000/–</td><td>07-09-2013</td></tr>
<tr><td>04–02–2023</td><td>फार्मेसी</td><td>डॉ0 अनीता सिह</td><td>10000/–</td><td>30-06-2019</td></tr>
<tr><td>04–02–2023</td><td>फार्मेसी</td><td>डॉ0 कुमुद उपाध्याय</td><td>10000/–</td><td>30-06-2019</td></tr>
<tr><td>31–01–2023</td><td>रसायन विज्ञान</td><td>डॉ0 शहराज अली</td><td>10000/–</td><td>25-05-2020</td></tr>
<tr><td>30–01–2023</td><td>वन विज्ञान</td><td>डॉ0 आशीष तिवारी</td><td>10000/–</td><td>13-07-2020</td></tr>
<tr><td>31–01–2023</td><td>रसायन विज्ञान</td><td>डॉ0 गीता तिवारी</td><td>10000/–</td><td>08-08-2020</td></tr>
<tr><td>09–02–2023</td><td>भौतिक विज्ञान</td><td>डॉ0 आलोक दुर्गापाल</td><td>10000/–</td><td>28-02-2020</td></tr>
<tr><td>01–02–2023</td><td>जैवप्रौद्योगिकी</td><td>डॉ0 तपन कुमार नैलवाल</td><td>10000/–</td><td>18-11-2020</td></tr>
<tr><td>09–02–2023</td><td>भौतिक विज्ञान</td><td>डॉ0 सीमा पाण्डे</td><td>10000/–</td><td>14-10-2020</td></tr>
<tr><td>09–02–2023</td><td>भौतिक विज्ञान</td><td>डॉ0 विमल पाण्डे</td><td>10000/–</td><td>28-02-2020</td></tr>
<tr><td>01–02–2023</td><td>वनस्पति विज्ञान</td><td>डॉ0 किरन बर्गली</td><td>10000/–</td><td>13-07-2020</td></tr>
<tr><td>01–02–2023</td><td>वनस्पति विज्ञान</td><td>डॉ0 सुषमा टम्टा</td><td>10000/–</td><td>13-07-2020</td></tr>
<tr><td>01–02–2023</td><td>वनस्पति विज्ञान</td><td>डॉ0 नीलू लोधियाल</td><td>10000/–</td><td>29-07-2020</td></tr>
<tr><td>01–02–2023</td><td>वनस्पति विज्ञान</td><td>डॉ0 अनिल कुमार बिष्ट</td><td>10000/–</td><td>20-07-2020</td></tr>
<tr><td>01–02–2023</td><td>कम्प्यूटर सांइस</td><td>डॉ0 आशीष मेहता</td><td>10000/–</td><td>17-11-2020</td></tr>
<tr><td>04–02–2023</td><td>फार्मेसी</td><td>डॉ0 अर्चना नेगी साह</td><td>10000/–</td><td>06-07-2021</td></tr>
</table>
समाजशास्त्र विषय में डॉ0 प्रियंका रूवाली को चयन समिति द्वारा चयनित नहीं किया गया।
</td>
</tr>
</table>

8000/– से 9000/–

चयन समिति की बैठक तिथि	विषय	अभ्यर्थी का नाम	ए0जी0पी0	अर्हता की तिथि
09–02–2023	भौतिक विज्ञान	डॉ0 पी0एस0 नेगी	9000/–	28-02-2017
08–02–2023	भूगोल	डॉ0 मनीषा त्रिपाठी	9000/–	16-11-2017
09–02–2023	भौतिक विज्ञान	डॉ0 प्रमोद कुमार मिश्रा	9000/–	14-08-2019
03–02–2023	एच0आर0डी0सी0	डॉ0 रितेश साह	9000/–	09-09-2019
03–02–2023	टूरिज्म	डॉ0 अशोक कुमार	9000/–	01-09-2019
31–01–2023	जन्तु विज्ञान	डॉ0 मनोज कुमार आर्या	9000/–	26-07-2020
31–01–2023	जन्तु विज्ञान	डॉ0 दीपिका गोस्वामी	9000/–	26-07-2020
04–02–2023	चित्रकला	डॉ0 रीना सिंह	9000/–	12-10-2020
08–02–2023	गृह विज्ञान	डॉ0 छवि आर्या	9000/–	22-06-2020
31–01–2023	रसायन विज्ञान	डॉ0 सुहेल जावेद	9000/–	23-05-2021
02–02–2023	वाणिज्य	डॉ0 आरती पन्त	9000/–	01-03-2021
04–02–2023	फार्मेसी	डॉ0 तीरथ कुमार	9000/–	14-03-2021
02–02–2023	अंग्रेजी	डॉ0 हरि प्रिया पाठक	9000/–	23-05-2021
02–02–2023	वाणिज्य	डॉ0 विजय कुमार	9000/–	21-08-2022
04–02–2023	फार्मेसी	डॉ0 महेन्द्र राणा	9000/–	21-08-2022
08–02–2023	संस्कृत	डॉ0 लज्जा भट्ट	9000/–	30-11-2022

7000/– से 8000/–

स्क्रीनिंग कम मूल्यांकन समिति	विषय	अभ्यर्थी का नाम	ए0जी0पी0	अर्हता की तिथि
09–02–2023	भौतिक विज्ञान	डॉ0 गिरीश चन्द्रा	8000/–	04-12-2019
01–02–2023	जैवप्रौद्योगिकी	डॉ0 ऋषेन्द्र कुमार	8000/–	01-12-2019
08–02–2023	भूगोल	डॉ0 मोहन लाल	8000/–	28-02-2020
28–01–2023	शारीरिक शिक्षा	डॉ0 नागेन्द्र प्रसाद शर्मा	8000/–	02-07-2020
01–02–2023	वनस्पति विज्ञान	डॉ0 कपिल खुल्बे	8000/–	18-02-2020
08–02–2023	भूगोल	डॉ0 प्रकाश चन्याल	8000/–	21-08-2021
27–01–2023	भू–विज्ञान	डॉ0 दीपा आर्या	8000/–	03-12-2021
30–01–2023	संगीत (गायन)	डॉ0 रवि जोशी	8000/–	31-07-2021
31–01–2023	रसायन विज्ञान	डॉ0 मनोज धुनी	8000/–	18-05-2021
31–01–2023	रसायन विज्ञान	डॉ0 महेश चन्द्र आर्या	8000/–	13-12-2021
04–02–2023	फार्मेसी	डॉ0 राजेश्वर कमल कान्त	8000/–	21-08-2021
06–07–2023	संस्कृत	डॉ0 नीता आर्या	8000/–	24-11-2021
28–01–2023	शारीरिक शिक्षा	डॉ0 संतोष कुमार	8000/–	02-07-2022
06–07–2023	संगीत	डॉ0 गगन दीप होठी (गायन)	8000/–	02-05-2022
31–01–2023	रसायन विज्ञान	डॉ0 पैनी जोशी	8000/–	02-05-2022
31–01–2023	जन्तु विज्ञान	डॉ0 दीपक कुमार आर्या	8000/–	02-05-2022
31–01–2023	जन्तु विज्ञान	डॉ0 हिमांशु पी0 लोहनी	8000/–	02-05-2022
02–02–2023	अंग्रेजी	डॉ0 शिवांगी चन्याल	8000/–	02-05-2022
07–02–2023	इतिहास	डॉ0 शिवानी रावत	8000/–	01-05-2022
08–02–2023	गणित	डॉ0 अनीता कुमारी	8000/–	03-06-2022
08–02–2023	गणित	डॉ0 दीपक कुमार	8000/–	02-05-2022
01–02–2023	जैवप्रौद्योगिकी	डॉ0 संतोष कुमार उपाध्याय	8000/–	01-05-2022
04–02–2022	पत्रकारिता	डॉ0 पूनम बिष्ट	8000/–	24-02-2022
02–02–2023	आई0टी0	श्रीमती उमंग	8000/–	21-08-2020

		6000/– से 7000/–

स्क्रीनिंग कम मूल्यांकन समिति	विषय	अभ्यर्थी का नाम	ए0जी0पी0	अर्हता की तिथि
30–01–2023	अर्थशास्त्र	डॉ0 नन्दन सिंह बिष्ट	7000/–	24-10-2022
06–02–2023	हिन्दी	डॉ0 शशि पाण्डे	7000/–	03-09-2020
09–02–2022	भौतिक विज्ञान	राज कुमार	7000/–	02-05-2018

11.	विश्वविद्यालय की ए0क्यू0ए0आर0, आई0आई0क्यू0ए0, एस0एस0आर0 की रिपोर्ट एवं भविष्य में नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की वार्षिक ए0क्यू0ए0आर0 को माननीय कुलपति जी की स्वीकृति के उपरान्त नैक को जमा किये जाने का अधिकार माननीय कुलपति जी को दिये जाने का कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन।	विश्वविद्यालय द्वारा नैक से संबंधित समस्त कार्यवाही यथाः ए0क्यू0ए0आर0 वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2018–19, वर्ष 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 जमा किया गया, आई0आई0क्यू0ए0 तथा एस0एस0आर0 रिपोर्ट जमा किये जाने की सूचना से कार्यपरिषद अवगत हुयी तथा कार्यपरिषद को यह भी अवगत कराया गया कि माह मई में नैक द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है।
12.	विश्वविद्यालय में बी0ए0बी0एड0, बी0एस–सी0 बी0एड0 एवं बी0कॉम0 बी0एड0 इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को एन0सी0टी0ई0 से संचालित किये जाने की स्वीकृति से परिषद को अवगत कराना।	विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में एन0सी0टी0ई0 द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में बी0ए0बी0एड0, बी0एस–सी0 बी0एड0 एवं बी0कॉम0 बी0एड0 इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु एन0सी0टी0ई0 की 383वीं बैठक दिनांक 31 अक्टूबर एवं 01 नवम्बर, 2022 के कार्यवृत्त के क्रमांक 14 में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, जिससे परिषद् अवगत हुयी इसके साथ ही परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त पाठ्यक्रमों को नियमित पाठ्यक्रम करने हेतु एवं पदों के सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। कार्यपरिषद को यह भी सूचित किया गया कि एन0सी0टी0ई0 Requerement के तहत गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त किया गया है, जिसका अनुमोदन कार्यपरिषद् द्वारा किया गया।
13.	विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति के कार्यकाल के तीन माह शेष रह जाने के फलस्वरूप नये कुलपति के चयन हेतु विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् से सर्वसम्मति एक नाम कुलाधिपति महोदय को भेजे जाने के सम्बन्ध में है, पर परिषद् का अनुमोदन।	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम –1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–12 (1) के अन्तर्गत समिति गठित किये जाने की व्यवस्था के तहत विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 (2) (a) One person (not being a person connected with the University, an Institute, a constituent, college, an associated or affiliated college or a hall or hostel) to be elected by the Executive Counclil [35][at least three months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term] के अन्तर्गत नियमित कुलपति के चयन हेतु एक सदस्य विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित किये जाने का प्राविधान है। **उपरोक्त पर विचार–विमार्शोपरान्त सर्वसम्मति से कुलपति के सर्च कमेटी हेतु प्रो0 राजीव मोहन पन्त, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय असम को नामित किया गया।**
14.	वित्त समिति में नामित माननीय सदस्य श्री पी0सी0 आर्या के स्थान पर नये सदस्य के मनोनयन पर विचार।	वित्त समिति में पूर्व में कार्यपरिषद् की 141वीं बैठक दिनांक 14.08.2019 के मद सं0 37 में श्री पी0सी0 आर्या का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप सर्वसम्मति से वित्त समिति हेतु श्री भुपेश तिवारी, पूर्व अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को नामित किया गया।
15.	श्रीमती उमंग सूचना प्रौद्योगिकी का शासन के आदेश दिनांक 10–05–2022 के अनुपालन में एस0एस जे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा को कुमाऊँ विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग सृजित सहायक प्राध्यापक के पद के सापेक्ष समायोजित किया गया है।	श्रीमती उमंग सूचना प्रौद्योगिकी का शासन के पत्र संख्या 113/XXIV–C–1(15)/2021 दिनांक 22–02–2022 151, दिनांक 10–05–2022 के क्रम में कुमाऊँ विश्वविद्यालय में सृजित सहायक प्राध्यापक कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग में विश्वविद्यालय के पत्रांक कार्मिक/ शै0व्य0/पीआर/2022/ 151, दिनांक 10–05–2022 के द्वारा समायोजन किया गया है, के तत्पश्चात् उनके द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, जिससे परिषद् अवगत हुयी।
16.	प्रो0 मधुरेन्द्र कुमार, राजनीतिशास्त्र का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चियर प्रोफेसर पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप उनके द्वारा दिनांक 25–05–2022 से 24–05–2025 तक (कुल 03 वर्ष) का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया है।	प्रो0 मधुरेन्द्र कुमार, राजनीतिशास्त्र का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चियर प्रोफेसर पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के परिनियम 49(d) के अन्तर्गत प्रो0 कुमार को दिनांक 25–05–2022 से 24–05–2025 तक (कुल 03 वर्ष) का असाधारण अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<table>
<tr><td>17.</td><td>डॉ0 दिव्या उपाध्याय का मूल पद राजनीतिशास्त्र से त्याग पत्र तथा वर्तमान पद पर (एच0आर0डी0सी0) कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कार्यरत रहने की सहमति के सम्बन्ध में।</td><td>डॉ0 दिव्या उपाध्याय की प्रथम नियुक्ति कु0वि0वि0 में सहायक प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र विभाग में हुयी है। उनके द्वारा वर्तमान में एच0आर0डी0 कु0वि0वि0 में कार्यरत होने के कारण डॉ0 उपाध्याय द्वारा एच0आर0डी0सी0 कु0वि0वि0 में कार्यरत रहने की सहमति पर उनका मूल पद राजनीतिशास्त्र को रिक्त मान लिया गया है तथा डॉ0 उपाध्याय को विश्वविद्यालय के पत्रांक कार्मिक/शै0व्य0/पीईआर/2021/399, दिनांक 27–08–2021 के द्वारा उनका पद एच0आर0डी0सी0 कु0वि0वि0 मे माना गया है, जिसका कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>प्रो0 जी0के0 शर्मा भू–विज्ञान विभाग द्वारा 01 वर्ष का असाधरण अवैतनिक अवकाश का अनुमोदन।</td><td>प्रो0 जी0के0 शर्मा, भू–विज्ञान विभाग का दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति होने के कारण कु0वि0वि0 के परिनियम 49(d) के16.18 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत 01 वर्ष का असाधारण अवैतनिक अवकाश विश्वविद्यालय के पत्रांक कार्मिक/शै0व्य0/ पीईआर/2022/694, दिनांक 15–09–2022 के द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसका कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>सेवानिवृत्ति के उपरान्त कतिपय शिक्षकों को शिक्षकों को सत्रांत लाभ दिये जाने हेतु कार्यपरिषद् में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td><td>मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में निम्नलिखित शिक्षकों को अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति उपरान्त सत्रांत लाभ दिया गया–
1– प्रो0 अजय अरोरा, टूरिज्म विभाग।
2– प्रो0 पी0सी0 कविदयाल, प्रबन्ध अध्ययन विभाग
3– प्रो0 वाई0एस0 रावत, वनस्पति विज्ञान विभाग
उक्त से अवगत होने के साथ–साथ परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सत्रांत लाभ हेतु शासन स्तर पर पत्राचार किया जाय।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>विभागाध्यक्षों के पदों पर वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप विभागाध्यक्ष पदों पर नियुक्त प्राध्यापकों का कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन।</td><td>विश्वविद्यालय में वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप निम्नलिखित प्राध्यापकों को विभागाध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया है।
1– प्रो0 एस0एस0 बर्गली, वनस्पति विज्ञान विभाग।
2– प्रो0 आर0सी0 जोशी, भूगोल विभाग।
3– प्रो0 जीत राम, वन विज्ञान विभाग।
4– डॉ0 अशोक कुमार पर्यटन विभाग।
5– प्रो0 अमित जोशी, प्रबन्ध अध्ययन विभाग।
6– प्रो0 एम0सी0 जोशी, गणित विभाग।
7– डॉ0 अनीता सिंह, फार्मेसी विभाग।
8– प्रो0 संजय पन्त, भौतिक विज्ञान विभाग।
9– प्रो0 निर्मला ढैला, हिन्दी विभाग।
उक्त से परिषद् अवगत हुयी।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त के उपरान्त रिक्त एवं कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप नियुक्त संकायाध्यक्षों का परिषद् द्वारा अनुमोदन।</td><td>विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त उपरान्त रिक्त एवं कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप निम्नलिखित संकायाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं–
1– प्रो0 इन्दु पाठक, कला संकाय।
2– प्रो0 एल0के0 सिंह, प्रबन्ध अध्ययन संकाय।
3– डॉ0 कुमुद उपाध्याय, तकनीकी संकाय।
उक्त से परिषद् अवगत हुयी।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या 677/जी0एस0(शिक्षा)B3–87/2021, दिनांक 20 मई, 2022 के अनुपालन में डॉ0 कुमुद उपाध्याय एवं डॉ0 अनीता सिंह फार्मेसी विभाग का उनके द्वारा लिए गये असाधारण अवकाश अवधि का लाभ कैरियर एडवांसमैन्ट स्कीम (CAS) हेतु दिया गया है, जो कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td><td>कुलाधिपति महोदय के उपरोक्त पत्र के क्रम में डॉ0 कुमुद उपाध्याय एवं डॉ0 अनीता सिंह फार्मेसी विभाग को उनके असाधरण अवकाश अवधि का लाभ कैरियर एडवांसमैन्ट स्कीम (CAS) हेतु दिये जाने के फलस्वरूप उनकी दयेता तिथि को निम्नलिखित संशोधित किया गया:–
डॉ0 कुमुद उपाध्याय
<table>
<tr><td>प्रथम नियुक्ति</td><td>ए0जी0पी0 7000/– देय तिथि</td><td>ए0जी0पी0 8000/– देय तिथि</td></tr>
<tr><td>30–06–2004</td><td>30–06–2008</td><td>30–06–2013</td></tr>
</table>
डॉ0 अनीता सिंह
<table>
<tr><td>प्रथम नियुक्ति</td><td>ए0जी0पी0 7000/– देय तिथि</td><td>ए0जी0पी0 8000/– देय तिथि</td></tr>
<tr><td>30–06–2004</td><td>30–06–2008</td><td>30–06–2013</td></tr>
</table>
उक्त का परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>23.</td><td>विश्वविद्यालय में नवसृजित "कृषि एवं कृषि वानिकी संकाय" के गठन एवं उक्त संकाय में नियुक्त संकायाध्यक्ष का परिषद् द्वारा अनुमोदन।</td><td>कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2741/जी0एस0(शिक्षा)/C3–32/2019 दिनांक 19 अक्टूबर, 2022 के द्वारा कु0वि0वि0 की प्रथम नियमावली के परिनियम 7.01 (J) में "कृषि एवं कृषि" वानिकी संकाय को स्थापित किया गया है। जिसके संचालन हेतु प्रो0 जीत राम, वन विज्ञान विभाग को अग्रिम आदेशों तक संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे परिषद् अवगत हुयी।</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के स्थान पर "बायोमेडिकल साइन्सेज संकाय" स्थापित होने के फलस्वरूप उक्त संकाय में प्रो0 सतपाल सिंह बिष्ट जन्तु विज्ञान विभाग को अग्रिम आदेश तक बायो–मेडिकल साइन्सेज संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।</td><td>कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक 2596/ जी0एस0(शिक्षा)/C3–31, दिनांक 11–10–2022 के द्वारा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के 7.01 (g) में चिकित्सा संकाय का नाम परिवर्तित कर "बायोमेडिकल साइन्सेज संकाय" प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त है। जिसके संचालन हेतु अग्रिम आदेशों तक प्रो0 सतपाल सिंह बिष्ट, जन्तु विज्ञान विभाग को उक्त संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिससे परिषद् अवगत हुयी।</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 90127/XXXVIII(5)2023, देहरादून, दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में प्रो0 विजय जुयाल फार्मेसी विभाग को हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर 06 माह हेतु विस्तारित किये जाने का पत्र प्राप्त है।</td><td>प्रो0 विजय जुयाल द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय में अन्यत्र सेवा हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली में 16.18 के अन्तर्गत दी गई व्यवस्था के अतिरिक्त असाधारण अवैतनिक अवकाश लिये गये हैं। पुनः उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के पत्र के क्रम में प्रो0 जुयाल द्वारा 06 माह विस्तारित किये जाने तथा अनापत्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।
उपरोक्त के संदर्भ में डॉ0 आर0 राजेश कुमार, सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी माननीय कुलपति जी को प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने हेतु अनापत्ति के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।
अतः प्रो0 जुयाल के अनुरोध पर उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 90127/XXXVIII (5)2023, देहरादून, दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में अन्य अवैतनिक अवकाश दिये जाने एवं वि0वि0 से अनापत्ति दिये जाने हेतु मा0 कार्यपरिषद् में विचारार्थ प्रस्तुत।
उक्त प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा असहमति व्यक्त की गयी।</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>यू0जी0सी0 के पत्र संख्या F.N. 2-12/2022(PS) पी0टी0एफ0आई0 11 दिनांक 16–10–2018 उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 197/XXIV(4)/ 2018–01(08)/2018 दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के क्रम में कैरियर एडवांसमैन्ट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु रिफ्रेशर एवं औरैयनटेशन कोर्स में छूट प्रदान करते हुए कैस प्रोन्नति का लाभ दिये जाने के उपरान्त वि0वि0 के पत्रांक कार्मिक/ शै0व्य0/ पीईआर/ 2022/399 दिनांक 13–07–2022 के द्वारा संशोधित आदेश निर्गत किया गया है, जो परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</td><td>यू0जी0सी0 के पत्र संख्या F.N. 2-12/2022(PS) पी0टी0एफ0आई0 11 दिनांक 16–10–2018 उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 197/XXIV(4)/ 2018–01(08)/2018 दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के क्रम में कैरियर एडवांसमैन्ट स्कीम के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु रिफ्रेशर एवं औरैयनटेशन कोर्स में निम्नलिखित शिक्षकों को छूट प्रदान करते हुए कैस प्रोन्नति का लाभ दिया गया ।
<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>शिक्षक का नाम</th><th>विभाग</th><th>CAS के अर्न्तगत प्रोन्नत संशोधित ग्रेड–पे</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डॉ0 दीपक कुमार</td><td>गणित</td><td>6000/– से 7000/–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>डॉ0 गगन दीप होठी</td><td>संगीत</td><td>6000/– से 7000/–</td></tr>
<tr><td>3</td><td>डॉ0 सुषमा टम्टा</td><td>वनस्पति विज्ञान</td><td>7000/– से 8000/–
8000/– से 9000/–</td></tr>
<tr><td>4</td><td>डॉ0 तपन कुमार नैलवाल</td><td>बायोटैक्नोलॉजी</td><td>8000/– से 9000/–</td></tr>
<tr><td>5</td><td>डॉ0 कपिल खुल्बे</td><td>वनस्पति विज्ञान</td><td>6000/– से 7000/–</td></tr>
<tr><td>6</td><td>डॉ0 संतोष कुमार उपाध्याय</td><td>बायोटैक्नोलॉजी</td><td>6000/– से 7000/–</td></tr>
<tr><td>7</td><td>डॉ0 पैनी जोशी</td><td>रसायन विज्ञान</td><td>6000/– से 7000/–</td></tr>
<tr><td>8</td><td>राज कुमार</td><td>भौतिक विज्ञान</td><td>6000/– से 7000/–</td></tr>
<tr><td>9</td><td>डॉ0 अर्चना नेगी साह</td><td>फार्मेसी</td><td>7000/– से 8000/–</td></tr>
</table>
उक्त का परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>शासनादेश संख्या 197/XXIV–C–4/ 2021–01(29) 2016 दिनांक 21–03–2022 जो प्रदेश के विश्वविद्यायों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु कैरियर एडवासमैन्ट योजना, 2010 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या –1479/XXIV(7)/2013–45(4)11, दिनांक 28–05–2013 का स्पष्टीकरण विषयक है।</td><td>उपरोक्त शासनादेश संख्या 197/XXIV–C–4/2021–01(29) 2016 दिनांक 21–03–2022 जिसके द्वारा शासनादेश संख्या 1479/XXIV (7) /2013–45 (4) 11, दिनांक 28–05–2013 को संशोधित किया गया है अतः उक्त संशोधित शासनादेश को वि0वि0 के परिनियमावली में सुसंगत स्थान पर सम्मिलित/ प्रतिस्थापित किये जाने हेतु परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>

28.	श्रीमती उमंग सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग के ए0जी0पी0 6000 से 7000 में प्रोन्नति हेतु उनके द्वारा लिये गये बाल्य देखभाल अवकाश अवधि में लिखे गये शोध पत्रों को प्रोन्नति हेतु जोड़े जाने के सम्बन्ध में विचार।	श्रीमती उमंग सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग के ए0जी0पी0 6000 से 7000 ग्रेड वेतन में प्रोन्नति दिनांक 30.08.2016को दी गयी थी। श्रीमती उमंग द्वारा बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि में लिखे गये शोध पत्रों को प्रोन्नति हेतु जोड़ने के लिए निवेदन किया गया था, जिसे समिति एवं स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया तथा इनकी 6000 से 7000 कैश प्रमोशन की तिथि 21.08.2015 संशोधित करने की संस्तुति की गयी है, जिसका कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
29.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध अध्यादेश के बिन्दु सं0 11(5) में किसी भी पी0एचडी0 शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध/थीसिस का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक और कम से कम दो ऐसे बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जायेगा जो सम्बन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञ हो और सम्बन्धित उच्चतर सम्बन्धित संस्थान में नियोजित नही हो। ऐसे परीक्षक के शिक्षाविद् होंगे जिनको संबंधित विषय क्षेत्र में विद्वतापूर्ण प्रकाशन की सुकीर्ति प्राप्त हो। यथासंभव बाह्य परीक्षकों में से एक को भारत के बाहर से चुना जाना चाहिये।	शोध अध्यादेश में यह भी उल्लिखित किया गया है मौखिक परीक्षा में बोर्ड में शोध पर्यवेक्षक और दो बाह्य परीक्षकों में से कम से कम एक शामिल होगा और यह ऑनलाईन मोड में आयोजित किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा में शोध सलाहकार समिति के सदस्यगण/संकाय/संकाय सदस्य/शोध अन्य शोधार्थियों तथा छात्र भाग ले सकते है उच्चतर शिक्षण संस्थान इस विनियन के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त नियम/अध्यादेश तैयार कर सकते हैं। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हमारे विश्वविद्यालय में तीन भाषाओं हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में शोध प्रबन्ध जमा किया जाता है। हिन्दी, संस्कृत भाषाओं में शोध प्रबन्ध को देश से बाहर भेज कर शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन (off/on line) किया जाना संभव नहीं है। उक्त पर उल्लेखित नियम **(उच्चतर शिक्षण संस्थान इस विनियन के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त नियम/अध्यादेश तैयार कर सकते हैं)** निर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2023 को सम्पन्न हो चुकी है, की कार्यवाही परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव को संबंधित समिति को पुनर्विचार हेतु समिति की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
30.	श्री गिरीश चन्द्र पूर्व शोध छात्र भौतिक विज्ञान, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल द्वारा शोध कार्य एवं बी0एस0आर0 फैलोशिप से त्यागपत्र देने तथा इनके प्रकरण पर गठित समिति की रिपोर्ट परिषद् विचारार्थ प्रस्तुत।	श्री गिरीश चन्द्र पूर्व शोध छात्र भौतिक विज्ञान, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल को शोध कार्य के दौरान यू0जी0सी0 नई दिल्ली से बी0एस0आर0 विभागीय फैलोशिप स्वीकृत थी तथा दिनांक 22.04.2013 को गिरीश चन्द्र द्वारा उक्त फैलोशिप में अपनी Joining दी गयी थी। दिनांक 31.03.2015 को गिरीश चन्द्र द्वारा अपने शोध कार्य एवं फैलोशिप से त्यागपत्र दिया गया था। **(परिशिष्ठ–01)** यू0जी0सी0 से प्राप्त धनराशि के क्रम में दिनांक 22.11.2014 से 31.03.2015 तक (चार माह नौ दिन) की अन्तिम किश्त की फैलोशिप का भुगतान वर्ष 2022 में गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त किया जा चुका है जो कि इनके द्वारा दिये गये त्यागपत्र की अवधि से पूर्व की अवधि की है। **(परिशिष्ठ–02)** उक्त के क्रम में यह भी सूच्य है कि श्री गिरीश चन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय अधिकारियों को समय–समय पर प्रेषित पत्रों में आपत्तिजनक व अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिनके सार्वजनिक रूप में पढ़ना भी शर्मसार करने योग्य होता है। इस सम्बन्ध में गठित समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि त्यागपत्र की अवधि तक की फैलोशिप का भुगतान किये जाने के उपरान्त भविष्य में इनके द्वारा विश्वविद्यालय को किये जाने वाले पत्रों का संज्ञान ना लिया जाय। **(परिशिष्ठ–03)** **इस सम्बन्ध में समिति का निर्णय इस प्रकार हैः–** 1. यू0जी0सी0 से प्राप्त फैलोशिप की धनराशि श्री गिरीश चन्द्र द्वारा शोध कार्य से दिये गये त्यागपत्र की अवधि से पूर्व की है। अतः विश्वविद्यालय स्तर से उक्त फैलोशिप का भुगतान कर दिया जाय। भुगतान के उपरान्त यू0जी0सी0 को उक्त भुगतान का उपभोग प्रमाण–पत्र प्रेषित किया जाय तथा सी0एम0 हेल्पलाईन आदि जहाँ से भी इस सम्बन्ध में शिकायतें लम्बित है उनका निराकरण इसी आधार पर कर दिया जाय। 2. समिति का मत है कि श्री गिरीश चन्द्र वर्तमान में विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थी नहीं है। अतः यू0जी0सी0 द्वारा प्रदत्त श्री गिरीश चन्द्र की फैलोशिप की अवशेष अवमुक्त धनराशि का भुगतान किये

		जाने के उपरान्त उनके द्वारा विश्वविद्यालय को भविष्य में किये जाने वाले पत्राचार पर कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं बनता है। अतः समिति सर्वसम्मति से श्री गिरीश चन्द्र द्वारा भविष्य में किये जाने वाले किसी भी तरह के पत्राचारों का संज्ञान न लिये जाने की सबल संस्तुति भी करती है। परिषद् द्वारा समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन के साथ–साथ यह भी सुझाव दिया गया कि यदि विश्वविद्यालय अधिकारियों को समय–समय पर प्रेषित पत्रों में आपत्तिजनक व अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसको सार्वजनिक रूप में पढ़ना भी शर्मसार होता है तो इसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज की जाय। इसके उपरान्त भी यदि प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है तो इसकी लिखित सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी जाय।
31.	सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की नवीन/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु पूर्व में मद सं0 08 के अतिरिक्त कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त स्वीकृति/पूर्वानुमोदन पत्रों पर परिषद का अनुमोदन।	कुलाधिपति सचिवालय से राजकीय/निजी संस्थानों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2019–20 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की नवीन/अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु प्राप्त स्वीकृति/पूर्वानुमोदन पत्रों पर परिषद का अनुमोदन। **उक्त का निर्णय बिन्दु सं0 08 में समाहित है।**
32.	श्री कैलाश जोशी माननीय सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तुत पत्र जो कि विश्वविद्यालय के परिसरों में कार्यरत संविदा/अतिथि शिक्षकों को सम्मानजनक पारिश्रमिक एवं नियमित किये जाने के संबंध में है, पर परिषद् का विचार।	श्री कैलाश जोशी माननीय सदस्य कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तुत पत्र जो कि विश्वविद्यालय के परिसरों में कार्यरत संविदा/अतिथि शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षणेत्तर वर्ग में रखे गये संविदा/दैनिक वेतन कार्मिकों को पारिश्रमिक एवं नियमित किये जाने के संबंध में है, पर परिषद् का विचार। उपरोक्त के संबंध में परिषद् द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया गया है:– 1. श्री कैलाश चन्द्र जोशी, माननीय सदस्य कार्यपरिषद्। 2. डॉ0 बी0एस0 जीना, माननीय सदस्य कार्यपरिषद्। 3. परिसर निदेशक, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल एवं सर जे0सी0 बोसतकनीकी परिसर भीमताल। 4. वित्त नियंत्रक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल। 5. उप कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल। उपर्युक्त गठित समिति नियमानुसार पूर्ण प्रस्ताव बनाकर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी, जिसे आगामी कार्यपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन को प्रेषित किया जायेगा।

अंत में कुलसचिव द्वारा परिषद् के समस्त सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद् की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव